अनुदान संख्या 66 - खान मंत्रालय
GRANT No. 66 - MINISTRY OF MINES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*10,00*	*2,29*	*-7,71*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*7,71*
स्वीकृत-	Voted-		614,97,00	605,57,91	-9,39,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,78,02
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	39,21,00	200,57,00	198,45,64	-2,11,36
पूरक	Supplementary	161,36,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,45,13

टीका और टिप्पणियां | *Notes and comments*

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में,बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1928.00	1578.00	1517.23	-60.77
पु.	R.	-350.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1675.00	..	..	..
पु.	R.	-1675.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	57894.00	59040.98	59040.68	-0.30
पु.	R.	1146.98			

(I) ₹1763.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1495.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1763.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹1495.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- under the following heads:-

(का) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता" - ₹1200.00 लाख ;

(A) "Geological Survey of India – Direction and Administration - Administrative Support"- ₹1200.00 lakhs;

(खा) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - अन्य व्यय - विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय" - ₹130.00 लाख; और

(B) "Geological Survey of India – Other Expenditure - Miscellaneous Major Expenditure on different Operations" – ₹130.00 lakhs; and

(गा) "खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो" - ₹165.00 लाख ;

(C) "Regulation and Development of Mines – Bureau of Mines – Indian Bureau of Mines" – ₹165.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खान मंत्रालय" के अंतर्गत ₹410.77 लाख की बचत (₹1928.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम संख्या में माध्यस्थम कार्यवाहियां होने, अवैध खनन की कम जांच किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई ।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat-Ministry of Mines" – saving of ₹410.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1928.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts, less number of arbitration proceeding, less inquiry for illegal mining and economy measures.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹139.51 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 तथा 14 प्रतिशत थीं ।

(III) Under two heads savings of ₹139.51 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 11 and 14 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:

(I) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता" - ₹1063.69 लाख का अधिक व्यय (₹42025.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहरा और निगरानी कर्त्तव्यों, अधिकारियों, स्टाफ की भर्ती, बकाया आवक दावों को निपटाने, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को किराए के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) "खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो" - ₹390.85 लाख का अधिक व्यय (₹5681.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2853" – under the following heads:-

(I) "Geological Survey of India –Direction and Administration – Administrative Support" – excess of ₹1063.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42025.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards wages for watch and ward duties, recruitment of officers, staff, clearance of outstanding inward claims, rent paid to Geological Survey of India and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) "Regulation and Development of Mines- Bureau of Mines- Indian Bureau of Mines"- excess of ₹390.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5681.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	355.00	..	..	..
पु.	R.	-355.00			
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	3566.00			
पू.	S.	16136.00	19911.87	19845.64	-66.23
पु.	R.	209.87			

(I) ₹355.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹300.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय - भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4853" - "खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय - पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण" के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹143.84 लाख का अधिक व्यय (अगस्त, 2011 और नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹16136.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹19701.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552"से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹ 355.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Mineral Exploration and Development – Other Expenditure - Geological Survey of India" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4853" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Acquisition of Capital Assets" - excess of ₹143.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19701.00 lakhs including supplementary grant of ₹16136.00 lakhs obtained in August, 2011 and November, 2011) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.